कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें प्रदान कराना

5027. **श्री आस मोहम्मद :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ग) कुल कितने हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत हैं ;

(घ) क्या सरकार ने शेष कृषि योग्य भूमि हेतु सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं ;

(च) क्या सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निवेश आमंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) "वृहद एवं मध्यम" परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिये सिंचाई क्षमता की पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धि तथा चालू वर्ष के लिये लक्ष्य तथा उस पर हुआ व्यय इस प्रकार है:—

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	परिव्यय/ व्यय
	(मिलियन हेक्टेयर)	(करोड़ रुपये)
1992–93	1.92	4041.91
1993–94	2.04 (प्रत्याशित)	4330.89 (संशोधित परिव्यय)
1994–95	2.77 (लक्ष्य)	5698.46 (अनुमोदित परिव्यय)

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 1991–92 की "भूमि उपयोग सांख्यिकी" में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, अनुमानित 184.35 मिलियन हैक्टेयर कुल कृष्य क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 48.80 मिलियन हैक्टेयर था ।

(घ) आठवीं योजना (1992–97) में 15.8 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य नियत किया गया है ।

(ङ) लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं, (i) निर्माणाधीन वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता (ii) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अधिक भागीदारी (iii) बड़ी संख्या में निर्माणाधीन धरातलीय जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना और (iv) धरातलीय एवं भूजल का संयुक्त उपयोग ।

(च) और (छ) उन "वृहद एवं मध्यम" सिंचाई परियोजनाओं का निजीकरण करने का कोई प्रभाव नहीं है, जो अधिक पूंजीगत लागत वाली होती हैं । किन्तु तृतीय स्तर पर प्रणाली के अनुरक्षण का कार्य तथा जल का वितरण और जल दरों की वसूली जल प्रयोक्ता संघों एव सहकारी समितियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है ।

गुजरात में नहरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

5028. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में नहरों के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है और क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गई है और विगत दो वर्षों में कितनी सहायता प्रदान की गई है ; और